



# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

## CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



न/के.मा.शि.बो./संबद्धता/राजकीय/2180004/2024/00402

दिनांक: 22/03/2024

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या,  
एयर फ़ोर्स स्कूल  
एयर फ़ोर्स स्टेशन  
आगरा-282008

विषय:

संबद्धता विस्तार के संबंध में।

महोदय/महोदया,

1. उपरोक्त विषयांतर्गत, निम्नलिखित विवरणानुसार प्राप्त संबद्धता विस्तार शुल्क की अभीस्वीकृति दी जाती है :

प्राप्त धनराशि एवं रसीद का विवरण:	धनराशि	रसीद संख्या	रसीद दिनांक
	रु. 70,000/-	-	-
सत्र एवं राशि का विस्तृत विवरण:	सत्र	कुल संबद्धता विस्तार शुल्क	
	01/04/2008 से 31/03/2024	रु. 68,000/-	

2. संबद्धता परिपत्र संख्या 01/2018 के अनुसार, दिनांक 01.04.2019 से बोर्ड द्वारा वार्षिक शुल्क रु. 3000/- रुपये से बढ़ाकर रु. 5000/- प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
3. संबद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में कोई अन्य/पृथक पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
4. इसके अलावा, भविष्य में विद्यालय को केवल ऑनलाईन मोड में सरस पोर्टल के माध्यम से संबद्धता विस्तार हेतु आवेदन करना होगा किसी भी प्रकार का ऑफलाईन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
5. स्कूल द्वारा जमा किए गए शुल्क से स्कूल का संबंधता विस्तार 2008 से 2024 तक करने के पश्चात 2000/-रुपे बोर्ड में जमा है जिसकी वापसी के लिए स्कूल के आधिकारिक बैंक खाते के पूर्ण ब्योरे के साथ इस कार्यालय में आवेदन कर सकता है।

अवर सचिव (राजकीय)